

केन्द्रीय सूचना आयोग
द्वितीय तल, अगस्त क्रांति भवन
भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली - 110066.

प्रथम अपील सं. CIC/AA/A/2017/200
संदर्भ संचिका सं. CICOM/A/2017/00193
CICOM/A/2017/00475

दिनांक: 21.06.2017

अपीलकर्ता : श्री आनन्द प्रकाश दीक्षित,
पुत्र - श्री भानु किशोर दीक्षित,
ग्रा0 व पो0 - नौली, जनपद - औरैया,
उत्तर प्रदेश - 206244.

निर्णय की तारीख: 21.06.2017

आर.टी.आई. आवेदन की तिथि	01.04.2017
आर.टी.आई. के तहत सूचना प्रदान करने की तिथि	17.05.2017
प्रतिउत्तर देने वाले जन सूचना अधिकारी	श्री कृष्ण अवतार तलवार
प्रथम अपील दाखिल करने की तिथि	10.06.2017
आयोग में प्रथम अपील का डायरी सं. व तिथि	141303/16.06.2017

1. अपीलकर्ता ने आर.टी.आई. आवेदन के माध्यम से आयोग को भेजे अपने दिनांक 06.12.2016 के पत्र के संबंध में सूचना मांगी थी, जिसके प्रतिउत्तर में श्री कृष्ण अवतार तलवार, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा प्रदान की गई सूचना के विरुद्ध अपीलकर्ता ने प्रथम अपील दाखिल की है।

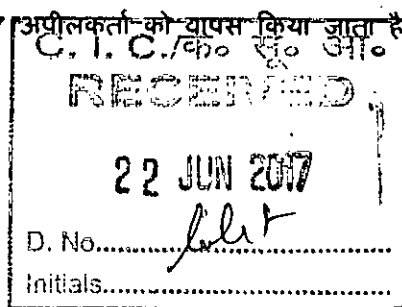
2. संबंधित संचिका का अवलोकन करने पर पाया गया कि अपीलकर्ता के दिनांक 01.04.2017 के आर.टी.आई. आवेदन के संदर्भ में श्री कृष्ण अवतार तलवार, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा प्रदान की गई सूचना बिल्कुल सही है तथा इसमें प्रथम अपीलीय अधिकारी के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है। अपीलकर्ता को सुझाव दिया जाता है कि श्री कृष्ण अवतार तलवार द्वारा प्रदान की गई सूचना के अनुसार दिनांक 04.04.2017 के पत्र में बताई गई कमियों को दूर करते हुए श्री तलवार को पत्र लिखें।

3. तदुसार अपील निस्तारित की जाती है।

4. प्रस्तुत संदर्भ में अपीलकर्ता यदि इस आदेश/निर्णय से संतुष्ट न हों तो अधिनियम की धारा 19(3) के अंतर्गत द्वितीय अपील इस आदेश की प्राप्ति के 90 दिनों के अंदर केन्द्रीय सूचना आयोग, 'सी' विंग, अगस्त क्रांति भवन, भिकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली - 110066 में की जा सकती है।

सूचना अधिकार अधिनियम के तहत प्रथम अपील हेतु कोई शुल्क देय नहीं है, अतः आपके आवेदन के साथ संलग्न दस रु0 का नोट सं. 56वीं 544967 अपीलकर्ता को वापस किया जाता है।

संलग्नक - यथोपरि।



राकेश
(आर. के. सिंह)
अपर सचिव एवं
प्रथम अपीलीय अधिकारी

प्रतिलिपि :

1. श्री ए. के. शर्मा, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, आर.टी.आई. प्रकोष्ठ, केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली।

✓
Amm
22/06/17